यालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

न० 70/16 तारीख रुजू 25-10-16

उनवान - गिर्राज बनाम हुकम वगै० गुर्जर नयागाँव

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री रामनरेशी गुप्ता एड० ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। प्रस्तुत शपथ पत्र व जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 8.11.16 को पेश हो।

3235-39
25-10-16

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

8.11.16

प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थी नं: 1, 2, 3 की ओर से श्री सुरेश चंद शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी नं: 4, 5 के नोटिस बिचिरत तामील उप. हैं किन्तु उप. नहीं हैं उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वास्ते जवाब दिनांक 17.12.16 को पेश हो।

17-12-16
18-12-16] अवकाश

19-12-16 वकील बार उपस्थित / गतानुसार दिनांक 24.1.17 को पेश हो।

24.1.17
पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 6.3.17 को पेश हो।

गिरिराज बनाम हुकम मु.नं. 70/16

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

18 वकलाय उपस्थित। प्रकरण वास्ते आदेश नियत है।

यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1131 रकबा 0.16 हैक्टे., 1132 रकबा 0.38 हैक्टे. हि० 1/2 ग्राम जयागांव तहसील टोडाभीम में दी प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है प्रतिवादीगण का उक्त आराजीयात से कोई लेना देना नहीं है अप्रार्थीगण जबरदस्ती बोरिंग का निर्माण करना चाहते हैं। अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अप्रार्थीगण ने जवाब में कथन किया कि उक्त आराजी से हमारा वास्ता नहीं है किन्तु ख.नं. 1140 के रिकॉर्डेड खातेदार होने से सभी कार्य करने के लिए ~~स्वच्छ~~ स्वतन्त्र है दावे की आड़ में ख.नं. 1140 के उपभोग उपयोग में बाधा करते है रिलीफ पाने के अधिकारी नहीं है प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावे।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का कथन किया। अप्रार्थी वकील ने कथन किया कि आराजी ख.नं. 1131, 1132 से हमारा कोई विवाद नहीं है विवाद केवल खरीद किये ख.नं. 1140 की भूमि से है इसलिए यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया। आराजी ख.नं. 1131, 1132 से प्रतिवादीगण का कोई विवाद ही नहीं है तो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं है अतः यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि० 29-10-18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम, करौली (राज0)

Scanned by CamScanner